# अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/105 रामलाल V/s मेवाराम

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री C.P. पाराशर    श्री पद्मनाभ गुर्जर—1

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

रामलाल बनाम मेवा राम (105 / 2023)

6/6/23 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु रिजर्व रखी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

13/6/23 वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.06.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद ही लोकस नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विवादित आराजी में अपने हक व हिस्से का हस्तातंरण विलेख दिनांक 20.07.1995 निष्पादित करने के बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त इकरारनामें से एस्टोप्ड है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में उक्त इकरारनामें से उसके हक व अधिकार समाप्त हो जाते है इसलिए कानूनन व विवादित आराजी का बंटवारा करवाने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रथम दृष्टया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद ही संधारण योग्य नही हो सकता। उक्त महत्पूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलांट अपने हक व हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो रहा है क्योंकि उक्त आदेश से राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की किसान को प्रदान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है जो कि एक किसान के साथ घोर अन्याय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी की सुनवाई किये बिना एकतरफा में प्रार्थी जो विवादित आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार है को स्थगन आदेश से पाबंद किये जाने के आदेश पारित कर दिये, जिससे प्रार्थी अपनी आराजी का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें या अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावें कि वे आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के तहत् उनके समक्ष विचाराधीन अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर 30 दिवस में करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब / बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया क अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2023 में यह आदेश किये गये है कि विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार से अन्तरण / बैचान नहीं करने व ना ही कोई निर्माण कार्य आदि करने हेतु पाबंद किया गया है। विवादित आराजी बाबत् हक—हकूक तो वाद में बाद साक्ष्य व सुनवाई निर्धारित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

105/2023/ अज रामलाल V/s मेवाराम

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

| तारीख | 2023/01 |
|---|---|
| पेशी | श्री CP धारासार  श्री मदनलाल 7657 |

होगें। उक्त आदेश से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी को संरक्षित किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट अपने स्थगन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2023 की पालना, प्रभाव को स्थगित करवाने हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो अपीलांट विवादित आराजी का अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल कर देगा या भूमि की शक्ल व किस्म परिवर्तित करवा लेगें तो वादी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगें इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 22.02.2023 के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.02.2023 को यह आदेश पारित किया गया कि विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार से अन्तरण/बैचान नहीं करने व ना ही कोई निर्माण कार्य आदि करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया है। अपीलांट/अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही नहीं कर सीधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलांट/अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश से यदि आपत्ति थी तो उनके समक्ष उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 4 जा.दी. के तहत् कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है वह एक पक्षीय आदेश हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि वे आदेश 39 नियम 3 ए जा.दी. के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 15 दिवस चार तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें तथा अपीलांट/अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को भी पाबंद करें कि वे प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी लेकर अप्रार्थीगण की तलबी शीघ्र पूर्ण करावें।।

**अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आदेश 39 नियम 3 ए जा.दी. के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 15 दिवस–15 दिवस की चार तारीख पेंशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें तथा अपीलांट/अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को भी पाबंद करें कि वे प्रार्थना पत्र में**

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 रायलाल V/s दिवाराम

| पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख काम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2023/105<br>श्री श्री | |
| 11.11.11 | शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी लेकर अप्रार्थीगण की तलबी शीघ्र पूर्ण करावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30.06.2023 को उपस्थिति होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। | |